न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 17/2026
श्रीमती अनीता **बनाम** सत्यपाल आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना– सकरौली, जिला एटा

10.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

आवेदिका की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षिप्त में कथन किया गया है कि प्रार्थिया श्रीमती अनीता पत्नी रवीश कुमार निवासी– हंसपुर जरानी कलाँ, थाना सकरौली, जनपद एटा की रहने वाली हूँ। प्रार्थिया के पति के परिवार वाले प्रार्थिया को गांव से निकालकर मकान पर कब्जा करना चाहते है। कई बार पूर्व में प्रार्थिया व प्रार्थिया के साथ पति के परिवारीजन मारपीट कर चुके है। प्रार्थिया अपने पति के परिवारीजनों से काफी मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया तथा मारपीट कर चुके है। प्रार्थिया अपने पति के परिवारीजनों से परेशान होकर अपनी माँ भूरी, भाई सुनील व चाचा सोरन सिंह, पति के परिवारीजनों को समझाने के लिए प्रार्थिया के घर आये। प्रार्थिया अपने दिनांक 27.01.2026 समय 08.00 बजे सुबह अपने घर में घरेल कार्य घर में घरेलू कार्य कर रही थी तभी सत्यपाल, जीतू पुत्रगण त्रिलोकपाल, सतेन्द्र व हरीश सिंह पुत्रगण रहीश पाल, मीरा पत्नी हरी सिंह, दुलारी पत्नी जीतू व रहीश पाल पुत्र आलम सिंह एक राय मशविरा होकर गन्दी गन्दी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे लेकर घर के अन्दर घुस आये और कहने लगे कि तू रोज–रोज गैलरी में बकरी बांध देती है। प्रार्थिया ने कहा कि गैलरी मैंने छोडी है इसलिए हम बकरी इस गैलरी में बाधेगें इसी पर बौखला कर सभी लोग प्रार्थिया को लात घूसों व थप्पडों से मारपीट करने लगे। सत्यपाल, जीतू, हरी सिंह, सतेन्द्र व रहीशपाल ने प्रार्थिया के कपडे फाड दिये, जिससे प्रार्थिया अर्द्धनग्न हो गयी और प्रार्थिया की लज्ञा भंग हो गयी। सत्यपाल व जीतू ने प्रार्थिया का अपने हाथों से गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। भाई सुनील व चाचा सोरन ने उपरोक्त लोगों से प्रार्थिया का गला वमुश्किल छुडाया। जिससे प्रार्थिया की जान बच सकी। उपरोक्त लोगों के गला दबा ने से प्रार्थिया के गले में काफी सूजन आ गयी जिससे वह बोलने में असमर्थ है। प्रार्थिया चीखी चिल्लाई। प्रार्थिया घर में मौजूद मॉ भूरी, भाई सुनील व चाचा सोरन व मौहल्ले के काफी लोगों ने प्रार्थिया को बचाया। जाते समय मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए यह कहते हुये चले गये कि अगली बार अगर गैलरी में बकरी बांधी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुल्जिमान द्वारा की गयी मारपीट में प्रार्थिया के गर्दन मुंह व छाती में काफी चोटें आयीं है। प्रार्थिया थाने गयी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुयी और ना ही प्रार्थिया का कोई भी डाक्टरी परीक्षण कराया। तब प्रार्थिया ने दिनांक 29.01.2026 को एक प्रार्थना पत्र बजरिये रजिस्ट्री व स्वयं मिलकर श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया तथा अपना

डॉक्टरी परीक्षण कराया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तब मज़बूर होकर श्रीमान् जी के न्यायालय मे अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है।

आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री, मैडीकल प्रपत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। न्यायालय मतानुसार मामले के सभी तथ्य आवेदिका एवं गवाहों की जानकारी में हैं। कोई भी ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर, इस न्यायालय द्वारा स्वंय जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

उक्त प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में पारिवारिक विवाद होने के कारण पत्रावली वास्ते मीडिएशन दिनांक 30.03.2026 को परिवादी सुलह समझौता केन्द्र पर उपस्थित हों। मीडिएशन आख्या दिनांक 10.04.2026 को आहूत हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)

दिनांक 10.03.2026